(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 12 / 2019

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2019 / 00037

बउनवान

अताउल्ला खान पुत्र असदुल्ला खान जाति मुसलमान निवासी छबड़ा जिला बाराँ

(अपीलांट)

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र पुरूषोत्तम जाति स्वर्णकार निवासी बाहरी दरवाजा छबड़ा तह. छबड़ा जिला बाराँ
2. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबड़ा के तस्दीकी इंतकाल नं0 228 दि. 15.12.1988 ग्राम टोडी तहसील छबड़ा के अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–	1– श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक	(अपीलांट)
	2– श्री देवकीनन्दन गालव अभिभाषक	(रेस्पो. क्रम 1)
	3– पेरोकार सरकार	(रेस्पो. क्रम 2)

निर्णय दिनांक 28.03.2022

अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा के तस्दीकी इंतकाल संख्या 228 दिनांक 15.12.1988 ग्राम टोडी तहसील छबड़ा से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 29.07.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से इंतकाल की प्रमाणित प्रति तलब की गई, जो अप्राप्त है। प्रकरण में रेस्पो. क्रम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित है एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत इंतकाल की शुद्ध प्रतिलिपि को हीं आधार मानकर उभयपक्ष के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट व उसके पिता ने खसरा नं0 286 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा पर पत्थर का कोट बनाकर काफी वर्षों से हदबन्दी कर रखी है। रेस्पो. क्रम 1 ने दिनांक 1.12.1988 को सब रजिस्ट्रार, छबड़ा के यहाँ विक्रय पत्र तहरीर करवाकर दिनांक 05.12.1988 को पंजीबद्ध करा दिया है तथा उक्त रजिस्ट्री के आधार पर फर्जी विवादित आराजी खसरा नं0 289 / 3 का इंतकाल नं0 228 दिनांक 15.12.1988 [illegible] राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा लिया और उक्त फर्जी इंतकाल के आधार पर रा[illegible] में उसका नाम दर्ज हो जाने से वह अपीलांट का पत्थर का कोट [illegible] व कब्जे काश्त की आराजी में जबरन कब्जा करने पर आमादा है जबकि उक्त फर्जी इंतकाल नं0 228 से उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। उक्त इंतकाल [illegible] एवं अवैध है एवं निम्न आधारों पर खारिज होने योग्य है :–

1. रेस्पो. क्रम 1 जिस खसरा नं0 मि. 289 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा ग्राम टोडी पर अपना अधिकार जताता है, वह रेस्पो0 को विक्रयशुदा नहीं है क्योंकि विवादित खसरा नं0 289 / 3 रकबा 15 बिस्वा विक्रय 01.12.1988 को अस्तित्व में नहीं थी। क्रेता व विक्रेता द्वारा दुरभिसंधि व षड्यंत्र करके 289 का मि. नंबर फर्जी / बनावटी रूप से तैयार कर 289 / 3 खसरा नं. कायम

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:36.17 IST
Reason: SelfAttested

कर उक्त खसरा नं. की रजि. रेस्पो. क्रम 1 ने अपने नाम करवाई है जो अस्तित्व में नही है एवं उक्त आधार पर नक्शें में तामील करा लिया है। इंतकाल नं. 228 दिनांक 15.12.1988 फर्जी प्रविष्टियों पर आधारित है क्योंकि विक्रय पत्र में अंकित संपत्तियों के विवरण के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन को दृष्टिगत रखते हुए निर्णित किया जा सकता है। लिहाजा उक्त इंतकाल के आधार पर राजस्व रिकार्ड में किया गया अमल दरामद निरस्त किए जाने योग्य है एवं रेस्पो0 उक्त फर्जी विक्रय एवं इंतकाल एवं राजस्व रिकार्ड में किए गए अमल दरामद से कोई हक हासिल नहीं होते है। उक्त रजि0 विक्रय पत्र निरस्तीकरण का वाद सिविल न्यायाधीश, छबड़ा में विचाराधीन है। उक्त फर्जी इंतकाल का सहारा लेकर रेस्पोडेन्ट अपीलांट की खाते की आराजी में गैरकानूनी तरीके से बाधा दखलअंदाजी एवं बेदखल करने पर आमादा है। अतः ताफैसला अपील स्थगन आदेश भी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि इंतकाल नं. 228 दिनांक 15.12.1988, तहसीलदार छबड़ा को निरस्त फरमावें एवं तरमीम नक्शे को निरस्त फरमावें।

रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया कि जिस इंतकाल नं. 288 दिनांक 15.12.1988 की अपील पेश की है, उसका मूल रिकार्ड तहसील छबड़ा से प्राप्त नहीं किया गया है। जिसके अभाव में अपील सुनवाई योग्य नहीं है। रेस्पो. तहसीलदार, छबड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं की गई है। अपीलांट अपीलाधीन इंतकाल में व्यथित व्यक्ति नहीं है और इंतकाल कार्यवाही में पक्षकार भी नहीं है और अपील हेतु न्यायालय से अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई है। खसरा नं. 289 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा का मूल खातेदार गजानन्द रहा है जिसकी आराजी में से सड़क निकल जाने से इसके तीन भाग हो गये जिसमें से एक भाग 15 बिस्वा मध्य में सड़क 01 बीघा व दूसरा भाग 01 बीघा का बिस्वा तहसीलदार छबड़ा ने उक्त तीनों भागों पर गजानन्द की प्रार्थना पर मि.नं. कायम किए। खसरा नं. 289/3 रकबा 15 बिस्वा जिस भाग पर कायम किया था उसे गजानन्द ने जर्ये रजि0 विक्रय पत्र दि. 01.12.1988 से विक्रय कर कब्जा संभलाया। मि. नं. प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.1988 पर दिनांक 26.11.1988 को आदेश हुआ। विक्रय के समय 289/3 का अस्तित्व नहीं होने का कथन स्वतः मिथ्या है। अपील मियाद बाहर है। इंतकाल दर्ज करने का आदेश 15.12.1988 अपील की मद नं. 5 में दि. 25.06.2009 को नकल ली गई। अपील वर्ष 2019 में अर्थात 31 वर्ष बाद पेश की गई है। अपीलांट स्वयं इस भूमि को क्रय करना चाहता था ताकि वह नवनिर्मित सड़क पर आ जावें और 1988 से रेस्पो. क्रम 1 से विवाद करता रहा है। इस कारण इंतकाल की जानकारी नहीं होने का कथन मिथ्या है। धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र झूठे है। उसमें वाद भी 2009 से 10 साल बाद 2019 में पेश अपील मियाद के बिन्दु पर भी सुनवाई योग्य नहीं है।

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबड़ा द्वारा इंतकाल संख्या 228 दिनांक 15.12.1988 वाके ग्राम टोडी तहसील छबड़ा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर सही खोला गया है। अपीलांट का खेत उक्त आराजी के समीप होने से उसकी आराजी पर पत्थर का कोट बनाकर काफी वर्षों से हदबन्दी कर रखी है, जिसे रेस्पो0 ध्वस्त करने पर आमादा होना अवगत करवाया गया है। प्रकरण मे अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की आराजी भूमि के खसरा नम्बर पृथक–पृथक है। प्रकरण मे उक्त इंतकाल पर रेस्पोडेन्ट क्रेता नरेन्द्र कुमार द्वारा एवं विक्रेता श्री गजानन्द स्वर्गीय ... किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नही गई है। अपीलांट को उक्त इंतकाल की अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है एवं अपील भी 31 वर्ष बाद काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गई है।

अतः परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:36:17 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक **28.03.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ